	हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **राजस्व आवेदन पत्र संख्या 94/2020 अनवान दिनेश कुमार बनाम रावताराम**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील मे जारी हुए
	राज्य सरकार के निर्देशानुसार प्रशासन गांवों के संग अभियान–2021 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत मुख्यालय पर न्याय प्रदान करने के उद्देश्य से पक्षकारान ग्राम पंचायत मुख्यालय कुड़ला पर जरिये नोटिस तलब होकर दिनांक 12.10.2021 को ग्राम पंचायत मुख्यालय, कुड़ला पर पत्रावली पेश हो। उपखण्ड अधिकारी, (एसडीओ) बाडमेर	
12.10.2021	पत्रावली ग्राम पंचायत मुख्यालय कुड़ला राजकीय माध्यमिक विधालय कुड़ला पर पेश हुई। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण अनुपस्थित। अप्रार्थीगण के नॉटिस तामिल की श्रेणी में प्राप्त हो चुके है। अप्रार्थीगण आज सूचना बावजूद अनुपस्थित होने से उनके विरूद्व ईकतरफा कार्रवाही अमल में लाई जाती है। प्रार्थी ने भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 111, 128 के तहत् प्रकरण प्रस्तुत किया। प्रार्थी ने अपने खातेदारी खेत मौजा बेरीवाला गांव पटवार क्षैत्र कुड़ला तहसील एवं जिला बाड़मेर के खसरा नम्बर 639/491 रकबा 109.06 बीघा, खसरा नंबर 707/373 रकबा 21.00 बीघा भूमि के अभिलिखत खातेदार है तथा अपनी खातेदारी भूमि की पक्की नेखमबंदी करवाना चाहता है, इस हेतु निर्धारित शुल्क जमा करवाने को तैयार है। अतः मौजा बेरीवाला गांव पटवार क्षैत्र कुड़ला तहसील एवं जिला बाड़मेर के खसरा नम्बर 639/491 रकबा 109.06 बीघा, खसरा नंबर 707/373 रकबा 21.00 बीघा भूमि अभिलिखत खातेदार है तथा अपनी खातेदारी भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित कर नेखमबंदी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर को कमीश्नर नियुक्त किया जाकर निर्देश दिये जाते है कि उक्त कार्रवाई प्रार्थी व विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस/पत्र सूचित करते हुऐ एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढ़ी नही करने बाबत् राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 07.09.1992 के मदेनजर) की जावे। कमीश्नर फीस 1500/– अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थी द्वारा मौके पर अदा की जायेगी। इस आशय का आदेश तहसीलदार बाड़मेर के नाम जारी हो। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल मिसल हो। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। आदेश मजमे आम में सुनाया गया। उपखण्ड अधिकारी, (एसडीओ) बाडमेर	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (SDO) बाड़मेर

नाम पीठासीन अधिकारी :– श्री रोहित चौहान आर.ए.एस.

प्रशासन गांवों के संग अभियान–2021 राजकीय माध्यमिक विधालय कुड़ला

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
1 दिनेश कुमार पुत्र गोरधरसिंह 2 श्रवण कुमार पुत्र गोरधनसिंह 3 धापुदेवी पत्नी गोरधनसिंह जाति जाट निवासी बेरीवाला गांव कुड़ला तहसील एवं जिला बाड़मेर		1 रावताराम पुत्र खैराजराम 2 धनाराम पुत्र खैराजराम 3 पुरखाराम पुत्र रामाराम 4 मेहराराम पुत्र हनुमानराम 5 बांकाराम पुत्र हनुमानराम 6 मेघाराम पुत्र रामाराम 7 श्रीमती चम्पा पत्नी तुलछाराम 8 हाकमसिंह पुत्र मानसिंह 9 प्रवीणसिंह पुत्र मानसिंह 10 बहादुरसिंह पुत्र राजुसिंह 11 हेबसिंह पुत्र राजुसिंह 12 देवीसिंह पुत्र हिन्दुसिंह 13 खरथाराम पुत्र मानाराम जाति जाट निवासी बेरीवाला गांव कुड़ला तहसील एवं जिला बाड़मेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 करने नेखमबन्दी बाबत्

राजस्व आवेदन संख्या–94/2020 **दिनांक–12.10.2021**

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा बेरीवाला गांव पटवार क्षैत्र कुड़ला तहसील एवं जिला बाड़मेर के खसरा नम्बर 639/491 रकबा 109.06 बीघा, खसरा नंबर 707/373 रकबा 21.00 बीघा भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थी व विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस/पत्र सूचित करते हुऐ एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढ़ी नही करने बाबत् राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 07.09.1992 के मदेनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीश्नर शुल्क रूपये 1500/– अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थी द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।

(रोहित चौहान)
उपखण्ड अधिकारी (SDO)
बाड़मेर

क्रमांक/रीडर/2021/6015–6018 दिनांक– 12/10/2021

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हैः–

1. तहसीलदार बाड़मेर पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथी अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी कूड़ला तहसील बाड़मेर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथी को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्रवाई पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी दिनेश कुमार पुत्र गोरधरसिंह, श्रवण कुमार पुत्र गोरधनसिंह, धापुदेवी पत्नी गोरधनसिंह जाति जाट निवासी बेरीवाला गांवए कुड़ला तहसील वं जिला बाड़मेर ।
4. विप्रार्थीगण रावताराम पुत्र खैराजराम वगैराह जातियान जाट निवासीयान बेरीवाला गांव, कुड़ला तहसील व जिला बाड़मेर।

उपखण्ड अधिकारी (SDO)
बाड़मेर